



2026:AHC:28457

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-सी संख्या 2161 वर्ष 2026

चंद्रभूषण मिश्रा @ पप्पू
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 27 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: अखिलेश कुमार तिवारी, आशीष त्रिपाठी
: आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता को सूना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी का नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से असंतुष्ट है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2/उप खंड मजिस्ट्रेट, तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज को वाद संख्या 318 वर्ष 2026 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202602030200318) का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ यह याचिका प्रस्तुत की है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत दायर किया गया एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें यह अनिवार्य है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर संबंधित प्राधिकारी को विधि के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निस्तारण करना होगा। उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) इस प्रकार है:-

“(3) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, जहाँ तक संभव हो, आवेदन की तिथि से तीन महीने के भीतर उप-खंड अधिकारी द्वारा संपन्न की जाएगी।”

5. उक्त प्रावधान के आलोक में और साथ ही पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में, प्रत्यर्थी संख्या 2/उप-खंड मजिस्ट्रेट, तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज को निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त मामले को अपने हाथ में लें और विधि के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, मामले का निस्तारण करें, जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दें।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

9 फरवरी, 2026
सकलैन

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”